

राष्ट्रीय लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक 15
न्यायालय –षष्ठम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इन्दौर

वलेम प्रकरण क्रमांक –1807 / 2021

विष्णु पिता अजबसिंह ठाकुर,
आयु-22 वर्ष, व्यवसाय-नौकरी,
निवासी- शांति नगर, थाना बाणगंगा इंदौर म.प्र.,

— प्रार्थी

विरुद्ध

(1) यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
पता: एल.आई.सी. आफिस, नर्मदा रोड़, बड़वाह जिला खरगोन म.प्र.
(वाहन की बीमा कंपनी)

(2) यमन पिता श्री शांतीलाल खण्डेलवाल, **(वाहन चालक)**

(3) शांतीलाल पिता श्री गेंदालाल खण्डेलवाल, **(वाहन स्वामी)**

— प्रतिप्रार्थीगण

आवेदक द्वारा श्रीमती साधना गुर्जर अभिभाषक।
अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा श्री आर.सी.चौबे अभिभाषक।

अवार्ड
(दिनांक 12.03.2022)

1. प्रार्थी ने इस प्रकरण में स्वयं को प्राप्त चोटों के लिये क्षतिपूर्ति रुपये **20,00,000/-** प्राप्ति हेतु यह प्रकरण अनावेदकगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।
 2. बीमा पॉलिसी की शर्त अनुसार बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति धन देने के लिये उत्तरदायी हैं। प्रार्थी व प्रतिप्रार्थी क्रमांक 01 बीमा कम्पनी के मध्य हुए समझौते के अनुसार प्रतिप्रार्थी क्रमांक 01 बीमा कम्पनी ने क्षतिपूर्ति धन **रुपये 51,000/-** देने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थी क्रमांक 01 बीमा कम्पनी से **51,000/-** राशि प्राप्त कर इस वाद का सम्पूर्ण निराकरण एवं समाधान हो जाना स्वीकार किया। प्रार्थी, प्रतिप्रार्थी क्रमांक 01 बीमा कम्पनी के अतिरिक्त अन्य पक्षकारों से अब कोई सहायता नहीं चाहता है।
 3. न्यायालय का यह समाधान होता है कि प्रतिप्रार्थी क्रमांक 01 बीमा कम्पनी व प्रार्थी के मध्य हुआ समझौता विधि अनुसार है तथा प्रार्थी-प्रतिप्रार्थीगण दोनों के हित में है।
 4. समझौता प्रमाणित व स्वीकृति कर प्रार्थी के हित में रुपये **51,000/-** का अवार्ड घोषित किया जाता है। अवार्ड राशि जमा का भुगतान प्रतिप्रार्थी क्रमांक 01 बीमा कंपनी द्वारा आर.टी. जी.एस के माध्यम किया जावेगा। अन्य प्रतिप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थी ने अपना दावा छोड़ दिया है।
 5. अवार्ड राशि जमा होने पर आवेदक अवार्ड राशि **51,000/-** रुपये आवेदक भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो उसके बचत खाते में राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से भुगतान की जावेगी। यदि दो माह के उपरांत भी बीमा कंपनी द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई तो अवार्ड दिनांक से अवार्ड राशि तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज भी आवेदक को देना होगा।
 6. पक्षकार इस प्रकरण का व्यय अपना-अपना वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क पूर्व प्रमाणित हो तो नियमानुसार आंका जावे।
- अवार्ड आदेश की प्रति प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी को निशुल्क प्रदान की जाये।

(गोपाल शर्मा)
समझौता सदस्य
खण्डपीठ क्र. 15

(अभिनव कुमार जैन)
पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ क्रमांक 15